राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः 30.11.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का राजस्थान अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 11.8.2010 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में ऑथोराइज्ड शेयर केपिटल 5 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये बढ़ाने बाबत किये गये निर्णय के क्रम में कम्पनी के ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया जाता है।

(प.2(88)वित्त/कर/10-96)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

क्रमांकः प.2(88)वित्त/कर/2010 दिनांकः 7.1.2011

शुद्धि-पत्र

वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(88)वित्त/कर/10-96 दिनांक 30.11.2010 की पंक्ति संख्या-4 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा के पश्चात् तथा को आयोजित वार्षिक से पहले शब्द "दिनांक 11.8.2010" के स्थान पर "दिनांक 29.9.2010 पढ़ा जावे।"

आदेश से,
ह0/-
(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः 30.11.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का राजस्थान अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपनी ऑथोराइज्ड अंशपूजी पन्द्रह सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पच्चीस सौ करोड़ रुपये करने के संशोधित ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया जाता है।

(प.2(15)वित्त/कर/10-95)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज., "कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(40)जन/11/ 471-950 दिनांकः 17-1-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर